54

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

गिरधारीलाल बनाम तहसीलदार रींगस व अन्य

किस्म मुकदमा–अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट   जीसीएमएस संख्या 2025 / 1724

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट, रेस्पो. उभयपक्ष उप.। वकील अपीलांट रेस्पो., उभयपक्ष ने समय चाहा। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
17/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप./ वकील अपीलांट की बहस एडमीशन पर सुनी गयी। अपील श्रवण योग्य होने से विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट को तलबी सादा/ रजिस्टर्ड नोटिस से व तहत रिकार्ड तलब कर पत्रावली दिनांक 7/1/26 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	रिकार्ड ईस्यू 1308 25/11/25 रजि० नोटिस जारी 25/11/25
7/1/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप.। रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20 की ओर से महेन्द्र कुमार बिजारणिया एड. ने अण्डरटेकिंग दी। आगामी तारीख पेशी पर अपना वकालतनामा पेश करें। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना बाबत अपील विड्रो करने बाबत पेश किया। शा.फा.हो। वकील अपीलार्थी श्री राजेश सैनी ने प्रार्थना पत्र विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी अपील प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष पेश की गई थी जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है। उक्त उनवानी अपील में प्रार्थी आगे अन्य कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है तथा प्रकरण से सम्बन्धित अपने समस्त वैधानिक अधिकार सुरक्षित करते हुये विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना स्वीकार कर अपील को विड्रो करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी स्वंय ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थी के पहचान को तस्दीक किया गया। अतः अपीलार्थी का प्रा. पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	UT [illegible] 6,11,12,17,18,19,20 की ओर से प्रस्तुत महेन्द्र कुमार बिजारणिया R-2841/07 Mob-9166653031 अ. गिरधारीलाल ID. Rajesh Saini 7/1/26